

परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारें तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.

क) अपेक्षित चन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना /स्कीम का संक्षिप्त विवरण

जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत बजूत से फग्नियांखेत तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 3.00 किमी।

ख) 1:50,000 स्केल भैम पर चन भूमि और उसके आस-पास के चनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप

मानवित्र प्रस्ताव में सौलग्न है।

ग) परियोजना की लागत

रु 73.40 लाख।

घ) चन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य

मोटर मार्ग का नव निर्माण

ड) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)

च) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है

लगभग 30 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण

आपेक्षित चन भूमि-2.70 हेक्टेयर चन पद्धायत भूमि - शून्य सिविल भूमि - शून्य योग - 2.70 हेक्टेयर

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

कोई नहीं

क) परिवारों की संख्या

ख) अनुमूलित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

-2-

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जुरी आवश्यक है? (हाँ / नहीं) : नहीं
5. प्रतिपुरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपुरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाए)

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रभाग पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा

सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

दिनांक: २०-३-१)

स्थान: नैनीटी

नाम

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर
नाम
अधिकारी अधिकारी
माहर अंतर्राष्ट्रीय दण्ड, लो० निं० वि०
नैनीटाल.

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग— ।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

परियोजना / स्कीम का स्थान – जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत बजून से

फगूनियांखेत तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

- | | | |
|-------|---|---------------------------|
| i) | राज्य / संघ शासित क्षेत्र- | उत्तराखण्ड नैनीताल |
| ii) | ज़िला- | नैनीताल |
| iii) | वन प्रभाग- | नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल |
| iv) | वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | |
| v) | वन की कानूनी स्थिति | |
| vi) | हरियाली का घनत्व | |
| vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार दृश्यों की परिपणना (संलग्न की जाए)। सिंचाइ / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफआरएल० – ८ मी० पर परिपणना भी संलग्न किए जाए | |
| viii) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की सर्वेदन शीलता पर संक्षिप्त विवरणी। | |
| ix) | वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | |
| x) | वन्य फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव आम्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वाईन की विपणीयों अनुबन्धित की जाए) | |
| xi) | वन्य क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की उर्वर्म /संकटापन्न / विशेष प्रजातियों पाई जाती है यदि हां/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें। | |
| xii) | वन्य कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | |

8— प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग—1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहर्य और चूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्योरों के साथ मटवार संस्तुत क्षेत्र द्वया है।

9— वर्त्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ / नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यताही सहित कार्य का ब्योरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।

10— प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता भैग।
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धाकाय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

11— जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12— प्रभाग / जिला प्रोफाइल

- i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र।
- ii. जिला का वन क्षेत्र।

iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।

iv.

1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित

वन भूमि

(ख) वनेतर भूमि पर

..... तक प्रतिपूरक वनीकरण

में हुयी प्रगति

वन भूमि पर

वनेतर भूमि पर

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

स्थान.....

नाम

सरकारी मोहर

वन क्षेत्राधिकारी

मैना वन क्षेत्र

राँची (नैनीताल)